संख्या-68/2025/आई/923693/2025/001-23-14099(099)/26/2024-2

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत सहारनपुर क्षेत्र के 37 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-12307/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 04.02.2025, पत्रांक-12458/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 18.02.2025, पत्रांक-12646/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 07.03.2025, पत्रांक-12726/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 11.03.2025, पत्रांक-12769/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 17.03.2025, पत्रांक-12793/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 17.03.2025, पत्रांक-12945/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 24.03.2025 एवं पत्रांक-13018/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 37 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 1499.52 लाख (रूपये चौदह करोड़ निन्यानबे लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागते	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि.ख.- 1 मुजफ्फरनगर	तेजलहेडा रजवाहे के पुल से पक्की सड़क तक	33.47	0.15	33.32	2.27	31.05	10.30	15.00
2	नि.ख.- 1 मुजफ्फरनगर	मु0नगर में शामली रोड से जागाहेडी-खेडी दुदाधारी की ओर	38.98	0.00	38.98	2.64	36.34	11.99	20.00
3	नि.ख.- 1 मुजफ्फरनगर	जफरपुर से निर्धना तक	32.46	2.00	30.46	2.20	28.26	9.99	14.00
4	नि.ख.- 1 मुजफ्फरनगर	सुभाष के खेत से बिटावदा की ओर (बुढाना बडौत से बिटावदा की ओर)	30.18	2.00	28.18	2.04	26.14	9.29	12.00
5	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	जौली रोड से टन्ढेडा गांव की ओर	319.06	67.46	251.60	20.43	231.17	98.55	132.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	मेहलकी से राजपुर गोला पुट्टा मार्ग	52.48	7.44	45.04	3.55	41.49	16.15	25.34
7	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	खाईखेडा से टन्डेडा	248.42	54.34	194.08	16.97	177.11	76.38	100.73
8	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सम्भलहेडा से सिकन्दरपुर जडबड प्रथम भाग	60.56	11.96	48.60	4.10	44.50	18.63	25.87
9	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ककरौली से दरियापुर मार्ग से गंगदासपुर मार्ग	358.84	75.72	283.12	24.51	258.61	110.33	148.27
10	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ग्राम शोरों में मूले जाटों के पुल से कब्रिस्तान तक	83.14	15.93	67.21	4.80	62.41	25.85	36.55
11	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	भोपा मोरना रोड से रजवाहे की पटरी मोरना करहेडा मार्ग	60.56	8.98	51.58	4.10	47.48	18.63	28.85
12	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	भौकरहेडी से हाजीपुर मार्ग	115.90	21.94	93.96	6.59	87.37	36.07	51.30
13	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	भोपा रजवाहे के हैड से भोपा जनता इन्टर कालेज मार्ग की ओर	90.67	16.38	74.29	6.14	68.15	27.89	40.26
14	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	करहेडा रजवाहे की पटरी मार्ग	123.64	20.14	103.50	8.37	95.13	38.04	57.09
15	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	खतौली पमनावली मार्ग पर पमनावली पुलिस चौकी से खानपुर की ओर	109.91	17.58	92.33	6.27	86.06	34.20	51.86
16	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिसौली शमषान रोड से षिकारपुर की ओर	248.28	40.02	208.26	16.96	191.30	76.34	100.00
17	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिसौली शमषानघाट से सुखवीर के खेत की ओर	48.98	8.80	40.18	3.32	36.86	15.07	18.00
18	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिसौली में यषपाल के खेत से मौहम्मदपुर मार्डन की ओर	75.00	11.42	63.58	5.08	58.50	23.07	30.00
19	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिसौली से सावटू मार्ग	74.88	11.44	63.44	5.07	58.37	23.04	30.00
20	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	खानपुर वजिदपुर मार्ग	75.17	13.81	61.36	5.09	56.27	23.13	33.14
21	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	मोचडी से जसौला मार्ग	46.15	6.58	39.57	3.12	36.45	14.20	22.25
22	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	इस्हाकवाला से आलूवाला प्रथम भाग	62.02	10.56	51.46	4.20	47.26	19.08	28.17
23	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	इस्हाकवाला से आलूवाला द्वितीय भाग	60.58	10.30	50.28	4.10	46.18	18.64	27.53
24	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	फहीमपुर से जसौला मार्ग	65.09	9.82	55.27	4.41	50.86	20.02	30.84
25	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	फहीमपुर से जसौला मार्ग का अवशेष भाग	60.27	9.70	50.57	4.08	46.49	18.54	27.95

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ग्राम सोन्टा से भैंसी मार्ग तक	303.82	57.44	246.38	20.76	225.62	93.21	132.21
27	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ग्राम सामना उर्फ रामराज से हस्तिनापुर मार्ग	74.69	12.85	61.84	4.35	57.49	23.21	34.28
28	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ग्राम काकडा से रसूलपुर मार्ग	43.59	8.43	35.16	2.95	32.21	13.41	18.80
29	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ग्राम पुरा से खुब्बापुर सडक से पीर तक	32.95	6.30	26.65	2.23	24.42	10.14	14.28
30	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	ग्राम काकडा से कुटबी की ओर	58.18	10.45	47.73	3.94	43.79	17.90	25.89
31	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	घटायन से मन्तोडी मार्ग	55.77	10.43	45.34	3.78	41.56	17.16	24.40
32	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	मीरावाला से राजवाहा पट्री मार्ग जौली बिजनौर रोड की ओर	246.10	47.64	198.46	16.81	181.65	75.67	70.00
33	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	काकडा शाहपुर रोड से वाया गुरूद्वारा होते हुए कुटबा रोड तक	62.55	10.63	51.92	3.88	48.04	19.36	28.68
34	नि.ख. सहारनपुर	छिछरोली से आभा पुल तक मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य ।	30.43	1.15	29.28	2.74	26.54	21.59	4.90
35	नि.ख. सहारनपुर	दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग से बगडोली-पान्डोखेडी मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य।	109.53	0.97	108.56	9.84	98.72	89.86	6.00
36	नि.ख. सहारनपुर	शाहपुर से तल्हेडी मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य ।	51.26	0.07	51.19	4.60	46.59	36.38	10.21
37	नि.ख. सहारनपुर	तल्हेडी-देवबन्द मुख्य मार्ग से शाहपुर मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य।	44.65	0.06	44.59	4.01	40.58	18.29	22.25
			योग						**1499.52**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 14,99,52,000 (रूपये चौदह करोड़ निन्यानबे लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/ नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।